No. 2766 /MS/GI/2015

स्पीड पोस्ट द्वारा

दूरभाष :23387939

संख्या 9/1/2015-सीएस

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

16.3.2015

(अजय के0 श्रीवास्तव)
विशेष कार्याधिकारी
मुख्य सचिव
उ0 प्र0 शासन

5वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन,
डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 16.03.2015

सेवा में,

(i) भारत सरकार के सभी मंत्रालय एवं विभाग (अखिल भारतीय सेवाओं एवं समूह 'क' केन्द्रीय सेवाओं के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी।)

(ii) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।

विषय: प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण के दो सदस्य के पद को भरने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण के मुख्यालय नई दिल्ली में सदस्य के दो पद को भरने हेतु पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

19.3.15
(संजय कुमार सिंह यादव)
संयुक्त सचिव
नियुक्ति विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

2. प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 प्रावधान करता है कि प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण का सदस्य योग्य, ईमानदार एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा तथा वह प्रतिस्पर्धा कानून एवं नीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, व्यवसाय, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखाशास्त्र, प्रबंधन, उद्योग, सार्वजनिक मामले अथवा किसी अन्य विषय सहित प्रतिस्पर्धा मामलों जो केन्द्र सरकार की राय में इस प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण के लिए उपयोगी हो सकते हैं, का विशेष ज्ञान रखता हो और उसे ऐसा व्यवसायिक अनुभव पच्चीस वर्षों से कम का न हो।

3. विनिर्णायक के रूप में प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण की भूमिका एवं महत्व को ध्यान में रखते हुए यह अपेक्षा की जाती है कि अपेक्षित अनुभव सहित उच्च सत्यनिष्ठा, प्रसिद्धि एवं ख्याति वाले व्यक्तियों के आवेदनपत्र विचारार्थ अग्रेषित किए जाएं।

------2/-

D:\Dinesh\Competition Section\9.1.2015.doc

9-1-2015-CS .pdf

4. प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण के सदस्यों की सेवा के निबंधन एवं शर्तें समय-समय पर संशोधित प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें) नियम, 2009 के द्वारा विनियमित होंगी। सदस्य पाँच वर्षों की अवधि के लिए पद पर रहेंगे तथा पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। किन्तु अपीलीय अधिकरण का कोई सदस्य 65 वर्षों की आयु के बाद पदधारण का हकदार नहीं होगा। सदस्य को अस्सी हजार रुपए प्रतिमाह (नियत) वेतन और अन्य देय भत्ते प्रदान किये जाएंगे इसमें केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के समान वेतन प्राप्त करने वाले किसी समूह 'क' अधिकारी को अनुमत सामान्य पूल आवास या मकान किराया भत्ता शामिल है।

5. केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के पात्र अधिकारी जो इच्छुक हों और जिन्हें चयन होने की दशा में कार्यमुक्त किया जा सके, से संबंधित आवेदनपत्र निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ विभागाध्यक्ष (जहां लागू हो) द्वारा यथाविधि सत्यापित/प्रति हस्ताक्षरित कर अग्रेषित किए जाएं:

(i) अद्यतन एवं पूर्ण गोपनीय रिपोर्ट (सीआर) डोजियर मूल रूप में/उम्मीदवार के पिछले 5 वर्षों के वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) की अभिप्रमाणित प्रतियां।
(ii) सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र।
(iii) इस प्रमाणीकरण के साथ सतर्कता अनापत्ति कि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक या अपराधिक कार्यवाही न तो लंबित है और न ही इसका विचार किया जा रहा है।
(iv) मुख्य/गौण दण्डों की सूची, यदि कोई हो, जो उम्मीदवार पर पिछले 10 वर्षों के दौरान आरोपित किए गए हों/गैर-शास्ति प्रमाणपत्र।

6. बिना सीआर डोजियर/एसीआर के प्राप्त आवेदनपत्र अथवा जिसमें अपूर्ण सूचना हो अथवा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त उम्मीदवारों के आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. यथाविधि पूर्ण अनुलग्नक-I में दिए फार्मेट में आवेदनपत्र **दिनांक 15.04.2015** तक <u>अधोहस्ताक्षरी</u> (श्री जे.बी. कौशिश, अवर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, 'ए' विंग, 5वां तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001) के पास पहुँच जाना चाहिए।

भवदीय,

(जे.बी. कौशिश)
अवर सचिव, भारत सरकार

संलग्नक: यथोपरि

D:\Dinesh\Competition Section\9.1.2015.doc

अनुलग्नक-I

प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण के सदस्य के दो पद हेतु आवेदन का प्रपत्र

नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो

आवेदित पद : सदस्य

1.	नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
2.	पिता का नाम/माता का नाम	
3.	जन्म तिथि	
4.	पता दूरभाष संख्या सहित स्थाई पता वर्तमान पता	
5.	राष्ट्रीयता (सिर्फ भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं)	
6	शैक्षणिक योग्यता (डिग्री/डिप्लोमा की स्वअभिप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें)	
7.	सेवा (सरकारी कर्मचारी के मामले में)	
8.	वर्तमान पेशा/व्यवसाय	
9	वर्तमान एवं पूर्व नियोजन का ब्यौरा। धारित पद विशेषकर प्रथम धारित पद से वर्तमान धारित पद जिसमें पदधारण की अवधि (कार्यग्रहण तिथि एवं कार्यभार त्याग की तिथि), किए गए कार्यों की प्रकृति, भत्तों आदि को छोड़कर मूल वेतन का उल्लेख प्रत्येक धारित पद के लिए अलग से करें (यदि आवश्यक हो तो अलग से एक पृष्ठ संलग्न करें)।	
10.	विहित अर्हता के अनुसार विशेषज्ञता का क्षेत्र और उसमें अनुभव के वर्षों की संख्या	
11.	अपील अधिकरण की अपेक्षाओं के संगत किए गए कार्य/कार्य अनुभव	
12.	आवेदक के पक्ष में कोई अन्य विशेष योग्यता; या विशेष उपलब्धि;या महत्वपूर्ण समितियों;कार्य समूहों आदि में भागीदारी;अथवा विदेशी असाइनमेंट/ प्रशिक्षण; अथवा प्रकाशन; अथवा राष्ट्रीय/अंर्तराष्ट्रीय मान्यताएं, आदि प्राप्त हुई हों।	
13.	पद पर योगदान हेतु अपेक्षित नोटिस की अवधि	

14.	जो आवेदक सरकारी सेवा में नहीं है उसके मामाले में जिम्मेदार स्थिति वाले दो पहचानकर्ताओं (जो संबंधित न हों) (उनसे शंसापत्र भी संलग्न किए जाएं)	

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना सही है और मेरे चयन होने की दशा में प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण के सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति से पूर्व मैं वर्तमान रोजगार या व्यवसाय से त्यागपत्र दे दूंगा या सेवानिवृत्ति ले लूंगा (यदि पहले से सरकारी सेवा में हों)।

स्थान:-
दिनांक:-

(तिथि सहित हस्ताक्षर)

नाम ____________________

पता ____________________

____

दूरभाष सं.: ____________________
फैक्स सं.: ____________________
ई-मेल: ____________________

निर्देश :

नोट 1- आवेदक किसी भी सूचना के लिए, जिसे संबद्ध कॉलम में उल्लेख करना संभव न हो, अतिरिक्त कागज संलग्न कर सकते हैं।

नोट 2- चयनित व्यक्ति को केन्द्र सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित किया जाना होगा, यदि उसे समकक्ष प्राधिकारी द्वारा पहले ही स्वस्थ घोषित नहीं किया गया हो।

सरकारी सेवकों के लिए अतिरिक्त अपेक्षाएं

1. चयनित व्यक्तियों को, यदि पहले से ही सरकारी सेवा में हों, नियुक्ति से पूर्व सेवानिवृत्ति लेनी होगी।

2. सरकारी सेवा में रहने वाले आवेदकों का आवेदन उचित माध्यम से अग्रेषित होना चाहिए। अग्रेषण अधिकारियों को यह अभिप्रमाणित करना होगा कि आवेदन में की गई प्रविष्टियां रेकार्ड से सत्यापित की गई हैं एवं सही पाई गई हैं, तथा अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक/सतर्कता कार्रवाई लंबित या विचारार्थ नहीं है, साथ ही अधिकारी पर पिछले दस वर्षों के दौरान कोई मुख्य/गौण दण्ड आरोपित नहीं किया गया है। अग्रेषण अधिकारी को आवेदन का अग्रेषण निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ करना होगा:

(i) अद्यतन एवं पूर्ण गोपनीय रिपोर्ट (सीआर) डोजियर मूल रूप में/उम्मीदवार के पिछले 5 वर्षों के वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) की अभिप्रमाणित प्रतियां।
(ii) सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र।
(iii) इस प्रमाणीकरण के साथ सतर्कता अनापत्ति कि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक या अपराधिक कार्यवाही न तो लंबित है और न ही इसका विचार किया जा रहा है।
(iv) मुख्य/गौण दण्डों की सूची, यदि कोई हो, जो उम्मीदवार पर पिछले 10 वर्षों के दौरान आरोपित किए गए हों/गैर-शास्ति प्रमाणपत्र।

3. बिना सीआर डोजियर/एसीआर, या अधूरी सूचना वाले या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

*****